

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी-डॉ०सूरज सिंह नेगी

अपील संख्या 65/2020

तारीख रजू 19.02.2020

भेरूलाल पुत्र भोरया जाति नाथ निवासी वीरपुर तह.खण्डार।

— अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार बहराण्डा कलॉ।

— रेस्पोंडेंट

निर्णय

दिनांक 23/02/2021

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार बहराण्डा कलॉ द्वारा मिसल संख्या 151/2019 में पारित आदेश दिनांक 23.12.2019 के विरुद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम वीरपुर के आराजी खसरा नम्बर 489 रकबा 4.00 बीघा किस्म गैर मुमकिन चरागाह पर संवत् 2076 में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करने का कर्ता मानकर अतिक्रमणित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलार्थी निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोंडेंट की ओर से राजकीय परोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलार्थी आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में कथन किया अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। यह है कि अदालत मातहत द्वारा इस बात पर कतई ध्यान नहीं दिया गया कि खसरा नम्बर 489 रकबा 4 बीघा वाके तन वीरपुर पर अपीलान्त ने कब्जा कर फसल काश्त नहीं की है ना ही अपना हित कायम किया है बल्कि अपीलान्त के समाज के पूर्वजों की समाधी स्थल बने है। उक्त खसरा नम्बर में बजरंगबली का मंदिर व भैरुजी का मंदिर बना है जिसकी देखभाल अपीलान्त द्वारा की जाती रही है। अदालत मातहत द्वारा अपीलान्त को सुनवाई/सबूत प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया है। यह है कि अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबंध में कोई साक्ष्य सबूत शामिल नहीं है जिससे अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिचारी की श्रेणी में माना जावे। अन्त में वकील अपीलान्त द्वारा अपील स्वीकार कर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.12.2019 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर




वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए परोकार सरकार ने बहस में कथन किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी करने के पश्चात ही अपीलार्थी को सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने व पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हो जाने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 धारा 91(3) के तहत दिनांक 29.11.19 को अपीलान्ट को अदालत मातहत के सक्षम उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किया गया किन्तु अदालत मातहत की पत्रावली जारी किये गये नोटिस की छायाँ प्रति सलंगन नहीं है। बिना नोटिस/सुनवाई किये बिना जारी किया गया आदेश न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबंध में पारित निर्णय जिसमें भौतिक रूप से अपीलार्थी को बेदखल किया गया हो इस संबंध में कोई दस्तावेज व पूर्व के किये गये अतिक्रमण के संबंध में पटवारी रिपोर्ट, नोटिस व अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं है। अपीलान्ट द्वारा बहस में पश्चातवर्ती के सबूत पत्रावली में सलंगन नहीं होने तथा अदालत मातहत की पत्रावली में धारा 91 (3) का नोटिस सलंगन नहीं होने के कथन से मैं सहमत हूँ। मेरी राय में अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमें बेदखली, शास्ति का आदेश यथावत रखा जाता है तथा अपीलान्ट को दिये गये 30 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23/02/21 को लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


(डॉ०सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर